न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./40/2025/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. श्रीमती चटकूदेवी पत्नी पदमसिंह 2. सुजानसिंह पुत्र पदमसिंह, जाति राजपुत, निवासी देवड़ों की ढाणी, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर।		1. खरताराम पुत्र पेमाराम 2. तेजाराम पुत्र पेमाराम 3. केहनाराम पुत्र पेमाराम 4. रूपाराम पुत्र पेमाराम 5. ओमप्रकाश पुत्र पेमाराम 6. श्रीमती धापूदेवी पत्नी पेमाराम 7. पनाराम पुत्र गेनाराम 8. वेहनाराम पुत्र गेनाराम 9. श्रीमती हाऊ पत्नी गेनाराम 10. खीयाराम पुत्र पपूराम 11. नरेश पुत्र पपूराम, रेस्पों. संख्या 10 व 11 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता जसीदेवी पत्नी पपूराम रेस्पों. संख्या 12 12. जसीदेवी पत्नी पपूराम, जाति मेघवाल, निवासी देवड़ों की ढाणी, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर 13. मोहनसिंह पुत्र चैनसिंह 14. भीखसिंह पुत्र चैनसिंह 15. श्रीमती हवादेवी पत्नी भीखसिंह, जाति राजपुत, निवासी देवडों की ढाणी, तह. गुडामालानी 16. श्रीमान शाखा प्रबंधक, बीसीसीबी, शाखा गुडागालानी 17. श्रीमान शाखा प्रबंधक, जेटीजीबी शाखा, सड़ा, तहसील सिणधरी 18. श्रीमान शाखा प्रबंधक, आर एम जी बी शाखा सडा, तहसील सिणधरी 19. श्रीमान एसबीआई शाखा गुडामालानी 20. तहसीलदार गुडामालानी, जिला बाड़मेर।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 121/2024(04/2024) बउनवान खरताराम वगैरह बनाम मोहनसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 10.02.2025 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः—

1. वकील श्री हरीराम विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—04.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 से 12 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि मौजा देवड़ों की ढाणी, पटवार हल्का नगर, तह. बाड़मेर के खसरा संख्या 2 रकबा 9.1863 हेक्टेयर आयी हुई है। जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251— ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में विप्रार्थीगण 1 से 3 /रेस्पों. संख्या 13 से 15 के खातेदारी का खेत मौजा देवड़ों की ढाणी, पटवार हल्का नगर, तह. बाड़मेर के खसरा संख्या 5 रकबा 25.5923 हेक्टेयर जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 से 12 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि मौजा देवड़ों की ढाणी, पटवार हल्का नगर, तह. बाड़मेर के खसरा संख्या 2 रकबा 9.1863 हेक्टेयर आयी हुई है। जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251— ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में विप्रार्थीगण 1 से 3 /रेस्पों. संख्या 13 से 15 के खातेदारी का खेत मौजा देवड़ों की ढाणी, पटवार हल्का नगर, तह. बाड़मेर के खसरा संख्या 5 रकबा 25.5923 हेक्टेयर जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है, जिस हेतु आवागमन के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिए रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये ही एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मूल प्रार्थना–पत्र रेस्पों. संख्या 13 से 15 के विरूद्ध प्रस्तुत कर उनकी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 5 में से आवागमन हेतु रास्ते की मांग की थी। उक्त अपीलाधीन मूल आवेदन में अपीलांट न तो पक्षकार थे और ना ही अपीलांट के खातेदारी आराजी में से प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की मांग की गई थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के उक्त आवेदन पर मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आर. आई. द्वारा तलब की गई उसमें रेस्पों. सख्या 13 से 15 के खेत खसरा संख्या 5 के बजाया अपीलांट के खेत खसरा संख्या 3 में से रास्ता निकालने का विकल्प दिया गया, जिसको आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्त प्रश्नगत मौका रिपोर्ट में अपीलांट को कोई नोटिस नहीं भेजा गया ना ही मौका पर अपीलांट उपस्थिति थे। प्रार्थीगण द्वारा अपीलांट के खेत खसरा में से रास्ता प्राप्त करने हेतु अपीलांट को पक्षकार अंकित करते हुए उसी दिन संशोधित शीर्षक पेश किया गया। जिस पर अपीलांट को बिना कोई सूचना या नोटिस प्रेषित किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है। अपीलांट को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई तामील कुनिंदा अपीलांट का नोटिस लेकर घर तक आया तथा न ही कोई नोटिस अपीलांट को जरिये डाक प्राप्त हुआ। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट/विप्रार्थीगण को तामील हेतु किसी भी तरह से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ उक्तानुसार अपीलांट को हस्तगत प्रकरण की तामील हेतु कोई सूचना नहीं दी गई। जबकि अपीलांट को पक्षकार बनाये जाने के बाद नोटिस तामील करवाये जाना आवश्यक था। जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को ना तो किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई और ना ही कोई तामील करवायी गई। बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। हस्तगत प्रकरण की मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आर. आई. द्वारा बिना मौका पर जाये ही केवल कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट में अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है। जिससे यह स्पष्ट है कि हस्तगत मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण के दबाव में आकर एकतरफा तैयार की गई है। जो विधि के सिद्धान्तों की घोर अवहेलना प्रदर्शित करता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए दूषित मंशा से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के अनुसार पूर्व से प्रयोग में लिये जा रहे कदीमी रास्ते को ही स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जाता है। जबकि अपीलाट के खसरा संख्या 3 मे से कोई कदीमी रास्ता प्रचलीत नहीं है। प्रस्तावित रास्ता के स्थान पर अपीलांट की बाड़ आदि बने हुए है। उक्तानुसार समस्त कथनों से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विद्वान अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट्स/विप्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रश्नगत मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रश्नगत एकतरफा मौका रिपोर्ट को आधार मानते हुए अपीलाधीन आदेश से रास्ता दिया गया है। प्रार्थीगण/रेस्पों. संख्या 01 से 12 द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय में अपना मूल आवेदन पेश किया गया था उसमें अपीलांट के खसरा संख्या 03 में से रास्ता प्रस्तावित नहीं किया गया है। किन्तु अपीलाधीन आदेश में खसरा संख्या 05 के स्थान पर समान दुरी व नाप का छोटी जोत के खसरा सख्या 03 में रास्ता प्रस्तावित किया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के मूल सिद्धान्तों के विपरीत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02.12.2024 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि "नवीन पक्षकार की तलबी अपूर्ण लिखा जाकर पुनः काट कर तलबी पूर्ण का लिखा जाकर दिनांक 10.02.2025 को अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित कर दी गई" जो प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होती है। अपीलांट/विप्रार्थीगण को सुने बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो हाजा न्यायालय की राय मे उचित प्रतीत नही होता है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 121/2024(04/2024) बउनवान खरताराम वगैरह बनाम मोहनसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 10.02.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि यथासंभव बाबत् कटाण/चलागमान रास्ते एवं लघु काश्तकार व कम/अधिक आकार की जोत को ध्यान में रखते हुये या भूमि के बदले भूमि देने के विकल्प पर विचार करते हुये मौका रिपोर्ट तलब कर वास्तविक मौके अनुसार ही विधि सम्मत आदेश पारित करें तथा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

4/9/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/9/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर